



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19022021-225273
CG-DL-E-19022021-225273

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 713]
No. 713]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 19, 2021/माघ 30, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 19, 2021/MAGHA 30, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2021

का.आ. 778(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग का.आ. 779 (अ) तारीख : 19.02.2020 अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, 4 किमी की दूरी। 34.1 (फरुखनगर) से कि.मी. 80 (जादचेरला) और (द्वितीय) सुधार, संचालन और रख-रखाव। 22.3 (थोंदुपल्ली) से कि.मी. 34.1 (फरुखनगर) आंध्र प्रदेश में उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर (NHDP चरण- II) के तहत बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर (बीओटी) आधार-NS2/ BOT/ AP-3/- पर एनएच-7 पर द्वारा तेलंगाना राज्य के रंगा रेड्डी जिले में NH44 के प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "19 फरवरी, 2020" को "हंसइंडिया (अंग्रेजी)" और "अंधराज्योति (टेलुगु)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

अतिरिक्त लेन और स्टेटिक वेट ब्रिज के निर्माण के लिए जमीन का संक्षिप्त विवरण, राईकल टोल प्लाजा में अतिरिक्त लेन और स्टेटिक वेज ब्रिज के निर्माण के लिए। 22.3 (थोंदुपल्ली) से कि.मी. तेलंगाना के राज्य में रंगारेड्डीके जिले में NH44 के साथ भूमि के खिंचाव में गिरता हुआ 80.000 (जादचेरला)।

राज्य का नाम: तेलंगाना		जिले का नाम: रंगा रेड्डी			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: फ़रूकनगर				
	गांव का नाम: रैकल				
1	146	निजी	ड्राई	0.02	म. कर्णकार रेड्डी S/o डर्मा रेड्डी (१४६ अ १)
2	147	निजी	ड्राई	0.03	म. पद्मनाभा रेड्डी S/o जनार्दन रेड्डी २. म. राजा शेखर रेड्डी S/o जनार्दन रेड्डी (१ १४७ अ २ १४७०)
3	148	निजी	ड्राई	0.1112	ी म. पद्मनाभा रेड्डी S/o जनार्दन रेड्डी २ म. राजा शिकार रेड्डी स ो जनार्दन रेड्डी (१ १४८ अ २ १४८ अ)
4	159	निजी	ड्राई	0.3177284	१ श्रीनिवास गौड़ नरेंद्र गौड़ (159)
5	264	निजी	ड्राई	0.1315	१ शमत अहजरा सुल्ताना W/o यौनउफ २ मद मोहिनुद्दीन S/o मुसीलुद्दीन (१ २६४ अ अ २ २६४ अ २ अ)
6	265	निजी	ड्राई	0.1517	म. राजेश रेड्डी S/o सत्यनारायणा रेड्डी (२६५अ)
7	266	निजी	ड्राई	0.2933	१ म. कर्णकार रेड्डी S/o डर्मा रेड्डी २ शमत म. उमा रेड्डी डी ओ डर्मा रेड्डी ३ शमत म. रूपा तुमु W/o सतेंद्र रेड्डी ४ शमत संध्या कुम्बम W/o रमेश रेड्डी ५ म. पद्मनाभा रेड्डी

					S/o जनार्दन रेड्डी ६ म. राजा शिकार रेड्डी S/o जनार्दन रेड्डी (१ २६६ अ१ २ २६६ अ२ ३ २६६ अ३ ४ २६६ अ४ ५ २६६ अ१ ६ २६६ अ२)
8	267	निजी	ड्राई	0.441117	१ शमत म. उमा रेड्डी डी ओ डर्मा रेड्डी २ शमत म. रूपा तुमु W/o सतेंदर रेड्डी ३ शमत संध्या कुम्बम W/o रमेश रेड्डी ४ म. पद्मनाबा रेड्डी S/o जनार्दन रेड्डी ५ म. राजेश रेड्डी S/o सत्यनारायणा रेड्डी ६ म. कर्णकार रेड्डी S/o डर्मा रेड्डी (१ २६७ अ२ २ २६७ अ३ ३ २६७ अ४ ४ २६७ अ१ ५ २६७ अ२ ६ २६७ अ३)
			कुल	1.4965	

[फा. सं. G/11021/2019/3A/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th February, 2021

S.O. 778(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. No. 779(E), Dated. 19.02.2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for 4 laning of Km. 34.1 (Farukhnagar) to Km. 80 (Jadcherla) and (II) Improvement, Operation and Maintenance of Km. 22.3 (Thondupalli) to Km. 34.1 (Farukhnagar) on NH-7 in the state of Andhra Pradesh under North-South Corridor (NHDP Phase-II) on Build, Operate and Transfer (BOT) basis—NS2/BOT/AP-3 - Construction of Additional Toll Lanes and Static Weigh Bridge at Raikal Toll Plaza as per the Punch list item, in the district of RANGA REDDY in the state of TELANGANA.

And whereas the substance of the said notification has been published in “HANS INDIA (ENGLISH)” and “(ANDHRA JYOTHI)” both dated 02.06.2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for Construction of additional lanes & Static Weigh Bridge at Raikal Toll Plaza at from Km. 22.3 (Thondupalli) to Km. 80.000 (Jadcherla) falling in the stretch of land along NH44 in the district of RANGA REDDY in the State of TELANGANA.

State: TELANGANA		District: RANGA REDDY			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Farooqnagar				
	Village: Raikal				
1	146	Private	Dry	0.02	M. Karnakar Reddy S/o. Darma Reddy 146A1
2	147	Private	Dry	0.03	M. Padmanabha Reddy S/o. Janardhan Reddy 2. M. Raja Shekhar Reddy S/o. Janardhan Reddy (1) 147A (2) 147AA
3	148	Private	Dry	0.1112	(1) M. Padmanaba Reddy S/o. Janardhan Reddy (2) M. Raja Shekar Reddy S/o. Janardhan Reddy (1) 148A (2) 148AA
4	159	Private	Dry	0.3177284	(1) Srinivas Goud, Narendar Goud, & Ramu Goud S/o. Chandra Shekar (2) Raju S/o. Babu Rao (3) Shiva Kumar Goud & Venkatesh Goud (4) Pothnak Kishore S/o. P. Ravindhar (5) Gopal Naik S/o. Redya Naik 159
5	264	Private	Dry	0.1315	(1) Smt. Ahjra Sulthana W/o. Younuf (2) MD. Mohinuddin S/o. Musiluddin (1) 264/A/AA (2) 264A/2AA
6	265	Private	Dry	0.1517	M. Rajesh Reddy S/o. Sathyanarayana Reddy 265A
7	266	Private	Dry	0.2933	(1) M. Karnakar Reddy S/o. Darma Reddy (2) Smt. M. Uma Reddy D/o. Darma Reddy (3) Smt. M. Rupa Tumu W/o. Sathendar Reddy (4) Smt. Sandhya Kumbam W/o. Ramesh Reddy (5) M. Padmanaba Reddy S/o. Janardhan Reddy (6) M. Raja Shekar Reddy S/o. Janardhan Reddy (1) 266/A1 (2) 266/A2 (3) 266/A3 (4) 266/A4 (5) 266/AA1 (6) 266/AA2
8	267	Private	Dry	0.441117	(1) Smt. M. Uma Reddy D/o. Darma Reddy (2) Smt. M. Rupa Tumu W/o. Sathendar Reddy (3) Smt. Sandhya Kumbam W/o. Ramesh Reddy (4) M.

					Padmanaba Reddy S/o. Janardhan Reddy (5) M. Rajesh Reddy S/o. Sathyanarayana Reddy (6) M. Karnakar Reddy S/o. Dharma Reddy (1) 267/A2 (2) 267/A3 (3) 267/A4 (4) 267/AA1 (5) 267/AA2 (6) 267/E
			TOTAL	1.4965454	

[F. No. G/11021/2019/3A/3D]

RAJESH GUPTA, Director